मुख्य परीक्षा

प्रश्न- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? प्लास्टिक के प्रकारों को उदाहरण सहित बताएं। साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि केन्द्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में क्या-क्या नियम प्रस्तुत किए हैं?

(250 शब्द)

What do you mean by Plastic waste management? Elucidate the kinds of plastic with examples. Along with it also elucidate, what provisions have been presented for the plastic waste management by central environment. control Board?

मॉडल उत्तर

- भूमिका में प्लास्टिक अपशिष्ट को बताएं।
- अगले पैरा में प्लास्टिक के प्रकारों को स्पष्ट करें।
- फिर अगले पैरा में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों को स्पष्ट करें।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2016 में प्लास्टिक प्रबंधन के नए नियम जारी किये हैं। जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। इसके अंतर्गत बहुलकों से निर्मित पॉलिवाईनिल अथवा प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं को इस श्रेणी में रखा गया है।

⇨ **प्लास्टिक के प्रकार**

- PET (Polyethyalene terephthalate) प्लास्टिक का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में होता है।
- HDPE (High-density Polyethylene) यह दूध, डिटर्जेंट की पैकिंग में उपयोग होता है।
- PVC (Poly Vinyl Chloride) का उपयोग केवल तार, प्लास्टिक की सीड (फर्श) बनाने के रूप मे होता है।
- LDPE (Low-density polyethylene) का उपयोग हल्के प्रकार के पॉलिथीन बनाने के रूप में होता है।
- PP (Poly Propylene) का उपयोग दवाई एवं ग्लूकोज की बोतल बनाने के लिए किया जाता है।
- PS का उपयोग चाय, कॉफी कप तथा आइसक्रीम कप बनाने में किया जाता है।

⇨ **केन्द्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के नियम-**

- प्रत्येक पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक पर पुनर्चक्रण चिन्ह लगाना अनिवार्य है। ये चिन्ह CPCB द्वारा तय किये जायेंगे।
- 50 माइक्रोन से पतला प्लास्टिक बनाना प्रतिबंधित किया गया है। क्योंकि इससे पतला प्लास्टिक पुर्नचक्रण योग्य नहीं होता है।
- स्थानीय दुकानदार प्लास्टिक के प्रयोग को हतोत्साहित करेंगे और ग्राहकों से प्लास्टिक पैकिंग के लिए अतिरिक्त शुल्क की मांग कर सकते हैं।
- गुटखा, तम्बाकू पान मसाला पैकिंग के लिए प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- प्लास्टिक का निर्माण करने वाली कम्पनियां सरकार को विशेष सहायता देगी।